

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)


क्रमांक: प.8(13)राज/वाद/17  
श्री प्रेमनारायण नामदेव,  
विशिष्ट लोक अभियोजक सं01,  
कोटा।

जयपुर, दिनांक 17-11-22

**विषय:-** आर0पी0ए जयपुर में दिनांक 20.11.22 को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन के संबंध में विचारार्थ एक राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने के संबंध में।  
**सन्दर्भ:-** समसंख्यक पत्र दिनांक 04.11.22

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में दिनांक 20.11.22 को लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य स्तरीय बैठक में भाग लेने हेतु 07 विशिष्ट लोक अभियोजक पोक्सो को मनोनीत करते हुये निर्देशित किया गया था।


पत्र दिनांक 07.11.22 के क्रम सं0 6 पर वर्णित श्री प्रेमनारायण नामदेव, विशिष्ट लोक अभियोजक सं01, कोटा के स्थान पर श्री विजय कछवाहा, विशिष्ट लोक अभियोजक सं02, कोटा (मोबाईल नं0 9828451522) को मनोनीत करते हुये भाग लेने हेतु निर्देशित किया जाता है।

  
(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार(वर्गीकरण), नोडल अधिकारी, माननीय किशोर न्याय समिति राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. अति0 महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण, राजस्थान जयपुर।
3. श्री विजय कछवाहा, विशिष्ट लोक अभियोजक सं02, कोटा।
4. संबंधित न्यायालय।
5. प्रोगामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

  
(हिमांकनी गौड़)

विशिष्ट शासन सचिव, वादकरण